

अध्याय - II रक्षा मंत्रालय

2.1 सरकारी भूमि के पट्टे के नवीनीकरण से राजस्व की हानि

1996 से प्रचलित पुरानी दरों पर किराये तथा प्रीमियम हेतु दिसम्बर 2006 में 30 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे के अनियमित नवीनीकरण के परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई।

सेना की खाली अथवा अप्रयुक्त भूमि सामान्य व्यक्तियों अथवा निजी प्रयोक्ताओं को किराये और प्रीमियम पर एक निश्चित अवधि के लिए नियम एवं शर्तों, जो पट्टा अनुबंध में शामिल की जा सकती हैं, के अनुसार बढ़े हुए किराये पर नवीनीकरण के लिए पट्टे पर दी जाती है। पट्टे की मानक शर्तों के अनुसार, पट्टा-प्रदत्त क्षेत्र के वर्तमान ढांचे में किसी भी योग्य अथवा परिवर्तन से पूर्व पट्टा-दाता की पूर्व सहमति आवश्यक है। हालांकि पट्टा-धारी, क्षेत्र को उप-पट्टे पर देने के लिए अधिकृत होता है उसे ऐसे मामले का विवरण एक माह के भीतर संबंधित रक्षा संपदा अधिकारी को संचारित करना होता है। पट्टा-प्रदत्त भूमि के व्यवसायिक प्रयोग पर, वसूलीयोग्य किराया आवासीय क्षेत्र के संबंध में वसूलीयोग्य किराये से चार गुणा होना चाहिए।

श्रीमती उषा साठे, रक्षा भूमि की पट्टे-धारी, जिसने 10 वर्षों⁸ की अवधि के लिए ₹1/- वार्षिक किराये पर 0.725 एकड़ माप वाली सर्वे सं0 30/4 के संबंध में डीईओ से एक पट्टा अनुबंध किया हुआ था, ने उपरोक्त भूमि पर पाँच आवासीय इकाईयाँ निर्मित करने की आज्ञा प्रदान करने हेतु आवेदन किया। नई आवासीय इकाईयों के निर्माण की सुविधा प्रदान करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने मई 1996 में वर्तमान पट्टे के सहगामी अभ्यर्पण पर ₹1,22,054 वार्षिक किराया तथा ₹12,20,540 वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर 30 वर्षों की अवधि के लिए नये पट्टे के अमल की अनुमति प्रदान की। डीईओ ने पट्टा-धारी को मंत्रालय के आदेश (जुलाई 1996) की अभिव्यक्ति प्रदान की जिसके आधार पर पट्टा-धारी ने ₹12,20,540 के प्रीमियम का भुगतान (अगस्त 1996) कर दिया।

दस्तावेजों की हमारी जांच में प्रकट हुआ कि जून 1992 और जनवरी 1998 की अवधि के मध्य, इस तर्क पर कि भूमि सेना द्वारा वांछित थी, पट्टे को रद्द करने के लिए जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, दक्षिणी कमान तथा सेना मुख्यालय के मध्य समानांतर पत्राचार चल रहा था। भूमि को और आगे पट्टे पर देने की उनकी अनिच्छा के बावजूद मुख्यालय दक्षिणी कमान ने यह तर्क स्वीकार करते हुए, कि सेना मुख्यालय ने पट्टे के निरस्तीकरण के प्रस्ताव का प्रत्युत्तर नहीं दिया था और मंत्रालय नई आवासीय इकाईयों के निर्माण की अनुमति (मई 1996) प्रदान कर चुका था, उपरोक्त भूमि पर पाँच बंगलों के ब्लाक्स के निर्माण की जनवरी 2006 में अनुमति प्रदान कर दी।

⁸ पट्टा-प्रदत्त भूमि एक प्लॉट की भूमि का भाग थी जो 30 वर्षों से अधिक की एक अवधि के लिए आवासीय प्रयोग उद्देश्य हेतु मूलतः एक निजी प्रयोक्ता को पट्टा-प्रदत्त थी। पट्टा जुलाई 1963 में तीन भिन्न व्यक्तियों के नाम हस्तांतरित किया गया था। तीनों सह-स्वामियों, जिनमें श्रीमती उषा साठे एक थी, की अलग पट्टा-नामांकन जारी करने की प्रार्थना के आधार पर, महानिदेशक रक्षा संपदा ने (अप्रैल 1993) 2.90 एकड़ माप वाली भूमि को 0.725 एकड़ माप वाले चार समान भागों में विभक्त कर दिया तथा प्रत्येक भाग को 30/1, 30/2, 30/3, तथा 30/4 के रूप में नये सर्वे सं0 प्रदान कर दिये थे। भूमि के विभक्त भागों में से एक भाग तीनों स्वामियों को नाम के आधार पर पट्टा कर दिया था। चौथा भाग सभी तीनों को संयुक्त रूप से/ सामूहिक रूप से पट्टे पर दे दिया था।

क्योंकि स्थानीय सेना प्राधिकारी भूमि की पुनःप्राप्ति को उत्सुक थे, मई 1996 में संस्वीकृति के अनुरूप नया पट्टा अनुबंध के कार्यान्वयन में विलंब किया गया। परिणामस्वरूप ₹1,22,054 का संशोधित वार्षिक किराया पट्टा-धारी से वसूल नहीं किया गया। जनवरी 2006 में मुख्यालय दक्षिणी कमान द्वारा निर्माण की अनुमति के उपरांत, दिसम्बर 2003 से लागू किराये तथा प्रीमियम के पुर्नमुल्यांकन की बजाए, डीईओ ने 1996 में निर्धारित वार्षिक किराया तथा प्रीमियम पर, 01 दिसम्बर 2003, जो कि पूर्व पट्टे का समाप्य दिवस था, से प्रभावी 30 वर्षों की अवधि के लिए पट्टा-धारी के पावर आफ अटार्नी के माध्यम से मार्च 2006 में पट्टा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 1996 में निर्धारित दरों जो दिसम्बर 2003 से जून 2012 तक प्रभावी थे, पर 2006 में पट्टा-धारी को भूमि पट्टे पर देने का डीईओ की कार्यवाही से ₹ 15.40 लाख के प्रीमियम तथा किराये की अल्प-वसूली हुई।

इसी दौरान, मूल पट्टा-धारक, श्रीमती उषा साठे ने मार्च 2003 में ₹2.50 लाख के बदले में अपनी निर्मित प्रतिनिधि-शक्ति के माध्यम से एक पंजीकृत साझेदारी फर्म मै0 विश्वमित्र एवं राठी को पट्टे के अधीन अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया। इस प्रकार, पट्टा अनुबंध (मार्च 2006) के प्रभावी होने के तुरंत पश्चात् पट्टा-धारी के प्रतिनिधि अर्थात् मै0 विश्वमित्र एवं राठी ने ₹1.65 करोड़ के बदले एक बिल्डर को पट्टा हस्तांतरित कर दिया (सितम्बर 2006)। यह इंगित करता है कि प्रश्नाधीन भूमि की मौद्रिक कीमत चालू प्रीमियम तथा किराये, जो डीईओ इस मामले में वसूल कर सकता था, से कहीं अधिक थी और इस तथ्य को रेखांकित करता है कि रक्षा भूमि की कीमत आकलन करने की चालू पद्धति बाजार परिस्थितियों के समकालीन नहीं है।

मुख्यालय दक्षिणी कमान ने बताया (नवम्बर 2010) कि सेना मुख्यालय ने पट्टे के निरस्तीकरण हेतु बार-बार की गई प्रार्थनाओं का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तथा मंत्रालय ने इसी मध्य, कथित भूमि पर बंगलों के निर्माण की अनुमति प्रदान कर दी जिसके लिए प्रीमियम जमा करवा दिया गया था उनके द्वारा निर्माण पर लगाया गया स्थगन हटा दिया गया था। जिस प्रकार से मुख्यालय दक्षिणी कमान ने अपने निर्णय के विपरीत कार्य किया जबकि स्पष्टतया पट्टा-धारी द्वारा पट्टा प्रदत्त भूमि का व्यवसायिक दोहन निहित था, स्थानीय सेना अधिकारियों द्वारा भूमि के स्वामित्व को प्राप्त करने के निष्ठतापूर्ण प्रयासों पर शंका उत्पन्न करता है। मई 2006 में सेना मुख्यालय ने बंगला प्राप्त करने के मामले को बंद कर दिया क्योंकि जनवरी 2006 में मुख्यालय दक्षिणी कमान ने एन.ओ.सी. जारी कर दी थी जबकि बंगला प्राप्त करने के अपने प्रस्ताव के लिए सेना मुख्यालय की अप्रतिक्रिया पर विचार करते हुए मुख्यालय दक्षिणी कमान ने एन.ओ.सी. दे दी।

इस प्रकार, पट्टा-प्रदत्त भूमि की पुर्नप्राप्ति के मामले को चलाने में विभिन्न रक्षा प्राधिकारियों की विफलता तथा सरकारी हितों की रक्षा हेतु शहर के मध्य स्थित उच्च मौद्रिक कीमत युक्त प्राथमिक रक्षा भूमि कम प्रीमियम तथा वार्षिक किराये पर एक निजी बिल्डर को हस्तांतरित हो जाने के परिणामस्वरूप न केवल किराये तथा प्रीमियम के नाम पर ₹ 15.40 लाख के राजस्व की हानि हुई अपितु पारदर्शिता की कमी एवं एक सर्वाधिक दुर्लभ स्रोत की सुरक्षा हेतु रक्षा मंत्रालय में आन्तरिक नियंत्रण की कमजोरी भी प्रकट होती है।

हमारी राय यह भी है कि पट्टा अनुबंध सेवा शर्तें जिनके तहत एक रक्षा भूमि का उप-पट्टा पट्टा-धारी द्वारा भूस्वामी की स्पष्ट अनुमति के बिना, तीसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है, जैसा कि रक्षा मंत्रालय ने रक्षा प्राधिकारियों को सूचित करते हुए इस मामले में किया, इस विषय पर वर्तमान पद्धति की समीक्षा की मांग करता है।

मामला मंत्रालय को फरवरी 2012 में भेजा गया था, उनका उत्तर जुलाई 2012 तक प्रतीक्षित था।

2.2 रक्षा भूमि की गैरकानूनी बिक्री

केन्द्रीय आयुध भण्डार (के.आ.भ.) के अधिकार में, कांदिवली मुम्बई की किराये पर ली गई अनुभाजित भूमि 5166 वर्ग मी. जोकि 1942 से सेना के स्वामित्व में थी, एक निजी संस्था को, रक्षा संपदा अधिकारी (डी.ई.ओ.) मुम्बई के अनियमित एन.ओ.सी. जारी करने के कारण आवासीय प्रयोजन के लिए दे दी गई। यद्यपि भूमि से संबंधित कुछ कपटपूर्ण गतिविधियों की जानकारी होते हुए भी के.आ.भ. मुम्बई ने राज्य सरकार अधिकारियों से अपने समर्थन में भूमि का सीमांकन नहीं करवाया। इस कारण सेना से भूमि हड़पना अपेक्षाकृत सफल हो गया।

“रक्षा संपदा प्रबंधन” पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट (संख्या 35/2010-11) में यह संदर्भित किया गया था कि रक्षा संपदा अधिकारी के भूमि अभिलेखों में बड़े पैमाने पर विसंगतियां थी और अधिगृहित भूमि का एक बड़ा हिस्सा सालों से परिवर्तन के लिए प्रतीक्षारत रखा गया था (पैरा 2.3 एवं 2.5)। रक्षा अधिकारियों ने रक्षा भूमि को पट्टे पर देने का कुप्रबन्ध किया हुआ था (पैरा 4.1) तथा रक्षा संपदा प्रबंधन के कई पहलुओं पर जिम्मेदारी की तर्ज और जवाबदेही पर गड़बड़ी करने के लिए अनुमति दी गई थी।

डी.ई.ओ. मुम्बई के लेखापरीक्षा (अप्रैल 2011) के दौरान हमारा एक अन्य मामले से सामना हुआ जो “भूमि बिक्री के लिए कोई आपत्ति नहीं” से संबंधित तथा डी.ई.ओ. द्वारा एक निजी कंपनी को दिए गए भूमि के विषय में थी। यह भूमि दशकों से रक्षा मंत्रालय के अधिकार में थी जैसाकि नीचे विस्तृत किया गया है।

राज्य सरकार की 13.28 एकड़ भूमि केन्द्रीय आयुध भण्डार (के.आ.भ.) मुम्बई के कब्जे में थी। भूमि का कुछ भाग के.आ.भ. की सीमा के अंदर था जबकि बाकी हिस्सा के.आ.भ. की सीमा के बाहर था जिसमें “सैन्य-नाला” भी समावेशित था, वह सेना के सक्रिय कब्जे में था तथा गश्त लगाने के काम में आता था। भूमि का किराया रक्षा संपदा अधिकारी, मुम्बई द्वारा दिसम्बर 1981 तक चुकता किया गया था, इसके बाद राज्य सरकार से बिल न मिलने के कारण कोई किराया नहीं दिया गया था। (मानचित्र परिशिष्ट-V में दिखाया गया है)

कलेक्टर बाम्बे उपनगरीय (कलेक्टर) ने के.आ.भ. को यह सूचित करने के दौरान (जून 1994) कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (कम्पनी) ने आवासीय प्रयोजन हेतु सरकारी जमीन के लिए आवेदन दिया है, कंपनी को भूमि प्रदान करने में उनकी किसी आपत्ति को जाहिर करने की मांग की थी। के.आ.भ. ने किसी भी तरह के बहुमंजिला इमारत का निर्माण संवेदनशील रक्षा प्रतिष्ठानों के निकट करने में कड़ी आपत्ति जताई (अगस्त 1994) तथा रक्षा संपदा अधिकारी को इस मामले से विस्तारपूर्वक अवगत करवाया। परन्तु कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा संपर्क किए जाने पर रक्षा संपदा अधिकारी ने कलेक्टर को भूमि आवंटन पर कोई आपत्ति न होने की सूचना दी (23 अगस्त 1994), बशर्ते कि के.आ.भ. के निकट किसी भी तरह की बहुमंजिला इमारत का निर्माण न किया जाए तथा उन्हें एन.ओ.सी. जारी कर दिया। हालांकि के.आ.भ. को रक्षा संपदा अधिकारी द्वारा साथ ही सूचित कर दिया गया परन्तु के.आ.भ. कोई प्रतिक्रिया करने में असफल रहे और भूमि पर अपनी किरायेदारी की पुष्टि के लिए कार्यवाही और भूमि का सीमांकन भी नहीं करवा सके।

लगभग 13 साल बाद जून 2007 में एक निजी भवन निर्माता जिसे राज्य सरकार द्वारा भूमि विकास के अधिकार दिये गये थे, ने के.आ.भ. को कलेक्टर द्वारा जारी किये दो पत्रों की प्रतिलिपियों (22 अक्टूबर 2001 तथा 26 जुलाई 2004) के साथ सम्पर्क किया जोकि क्रमशः 'मेजर, बिश्वास आर्म्ड फोर्सिस ऑफ इण्डिया' एवं 'मेजर, आर्म्ड फोर्सिस ऑफ इण्डिया' को संबोधित थी जिसमें कलेक्टर ने सरकारी भूमि को कम्पनी को अनुदान में देने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी.) मांगा था, यह इंगित करते हुए कि यदि 15-20 दिनों के अंदर कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मान लिया जाएगा कि विभाग को भूमि की आवश्यकता नहीं है तथा आवेदक कम्पनी को भूमि आवंटन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जाएगी। के.आ.भ. (30 जून 2007) ने इन पत्रों की प्रमाणिकता का इस आधार पर खण्डन किया कि इन दोनों पत्रों के पते काल्पनिक है तथा कलेक्टर को सूचित किया कि काल्पनिक पतों पर किये गये पत्राचार का कोई परिणाम नहीं है। के.आ.भ. ने रक्षा सम्पदा अधिकारी को भी इस विकास की सूचना दी। असामान्य गति के साथ उसी माह के अंदर कलेक्टर ने अनुभाजित 5166.50 वर्ग मीटर भूमि कम्पनी को बाजार मूल्य ₹ 5.94 करोड़ में बिक्री का आदेश (26 जून 2007) दे दिया तथा भूमि कम्पनी को 9 जुलाई 2007 को हस्तान्तरित कर दी गयी। डी.ई.ओ. ने कलेक्टर को इस भूमि बिक्री आदेश के रद्दीकरण/वापसी के लिए प्रार्थना (जुलाई 2007) इस आधार पर की कि किसी को भूमि बिक्री का आदेश उस भूमि को रक्षा मंत्रालय द्वारा किराये पर हटवाये बिना देना उचित नहीं था। डी.ई.ओ. के दावे का खण्डन करते हुए कलेक्टर ने सूचित किया कि कम्पनी द्वारा तत्कालीन राजस्व मंत्री को की गयी प्रार्थना पर उस भूमि की वस्तुस्थिति को सत्यापित करवाया गया था, इसकी पुष्टि होने के पश्चात की कि भूमि राज्य सरकार की है, इसे कम्पनी को आबंटित किया गया। सितम्बर 2007 में कम्पनी ने डी.ई.ओ. को सूचित किया कि उनका दावा कलेक्टर द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है तथा वे इस पर विकास कार्य प्रारम्भ कर देंगे।

के.आ.भ. द्वारा चौकीदारों की नियुक्ति से विकास कार्य में बाधा उत्पन्न करने के कारण कम्पनी ने एक शिकायत रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री (आर.यू.आर.एम.) को दाखिल की जिससे मंत्री के व्यक्तिगत सचिव ने सेनाध्यक्ष के सचिवालय (15 नवम्बर 2007) को 'उचित' कार्यवाही हेतु सेनाध्यक्ष को नोट प्रस्तुत करने को लिखा। अगले दिन तत्कालीन सेनाध्यक्ष ने फाइल को मामले की कार्यवाही के लिए क्वार्टर मास्टर जनरल शाखा (क्यू.एम.जी.) को अग्रेषित कर दिया। क्यू.एम.जी. ने (10 दिसम्बर 2007) को आर.यू.आर.एम. के व्यक्तिगत सचिव को सूचित किया कि स्थानीय सैन्य प्राधिकरण (एल.एम.ए.) की कार्यवाही किसी गलतफहमी तथा उनके व रक्षा संपदा अधिकारी के बीच संवादहीनता का परिणाम प्रतीत होती है। आगे कहा गया कि एल.एम.ए. को तुरन्त सभी अवरोध हटाने और वैधानिक स्वामी को उसके नियोजित कार्य को आगे बढ़ाने देने का निर्देश दे दिया गया है। मुम्बई उप क्षेत्र के निर्देश अनुसार, के.आ.भ. ने चौकीदार व बोर्ड हटा लिए और निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। कलेक्टर ने डी.ई.ओ. मुम्बई (नवम्बर 2007) को के.आ.भ. के अन्तर्गत भूमि के सर्वेक्षण के लिए सूचित किया। के.आ.भ. की सर्वेक्षण हेतु निधि (₹10.02 लाख) की प्रार्थना लंबित थी (अप्रैल 2011)।

इस प्रकार से ₹ 5.94 करोड़ की 5166 वर्ग मीटर भूमि जोकि दशकों से सेना की अभिरक्षा में थी तथा सेना द्वारा गश्ती कार्यों के लिए सक्रिय रूप से प्रयुक्त होती थी, डी.ई.ओ. द्वारा बहुत पहले अगस्त 1994 में जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र का विरोध/वापसी किए बिना किसी गंभीर प्रयास के छोड़ दी गयी वो भी तब जबकि कलेक्टर द्वारा जारी एन.ओ.सी. जून 2007 का के.आ.भ. द्वारा विरोध किया गया था। सेना मुख्यालय द्वारा इस मामले की जाँच तथा प्रतिवाद करने के बजाय कम्पनी को सैन्य संस्थानों के निकट विकास कार्य की अनुमति देकर एक प्रकार से सैन्य सुरक्षा के साथ समझौता किया गया। के.आ.भ. लम्बे समय अन्तराल 1994 से

2007 के दौरान भी इस मामले को निपटाने के लिए राज्य सरकार के साथ अनुसरण करने में असफल रहा। आगे कलेक्टर ऑफिस के भू अधिकार दस्तावेजों में अपने नाम पर भूमि के सीमांकन व हस्तांतरण में विलम्ब उन्हीं कुछ समान प्रकार के विवादग्रस्त भूमि हस्तान्तरण मामलों में परिणित होगा जिससे रक्षा प्राधिकारियों को के.आ.भ. मुम्बई के निकट कुछ और भूमि जो कि सालों से उनके अधिकार में है, खोने का खतरा बढ़ जाएगा। हमारे द्वारा इस मुद्दे को उठाये जाने पर मुख्यालय दक्षिणी कमान द्वारा सूचित किया गया है (नवम्बर 2011) कि यह केस सी.बी.आई. को जाँच के लिए अग्रेषित कर दिया गया है।

जाँच द्वारा यह स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा कि कैसे डी.ई.ओ. द्वारा प्राइवेट पार्टी को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया गया जबकि के.आ.भ. द्वारा रक्षा भूमि/संस्थान के निकट किसी भी बहुमंजिला निर्माण का विरोध किया गया था।

यह मामला मार्च 2012 को मंत्रालय को भेजा गया था जिसका उत्तर जुलाई 2012 तक प्रतीक्षित था।

2.3 अहमदनगर छावनी बोर्ड में प्रवेश्य वाहनों पर लाइसेंस फीस न लेने से हानि

प्रधान निदेशक रक्षा संपदा, दक्षिणी कमान द्वारा छावनी में प्रवेश्य वाहनों पर लाइसेंस फीस प्रभारण हेतु सरकारी स्वीकृति प्राप्ति के लिए अहमदनगर छावनी बोर्ड के प्रस्ताव को प्रक्रियाधीन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप लगभग ₹4.72 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

छावनी अधिनियम 2006, जो दिसम्बर 2006 से प्रभावी हुआ, ने छावनी बोर्ड को छावनी क्षेत्र में प्रवेश्य वाहनों पर लाइसेंस फीस (एल एफ) प्रभारित करने का अधिकार दिया। अहमदनगर छावनी बोर्ड, छावनी अधिनियम 1924 के प्रावधानों के अधीन छावनी में प्रवेश एवं छावनी सीमा से गुजरने वाले वाहनों पर वाहन प्रविष्टि कर (वीईटी) वसूल कर रहा था। वीईटी और एलएफ साथ-साथ प्रभारित नहीं किए जा सकते। एलएफ से होने वाले लाभों के दृष्टिगत बोर्ड ने वर्तमान वीईटी के स्थान पर फरवरी 2007 में वीईटी निरस्त करते हुए एलएफ लगाने हेतु प्रस्ताव पारित किया। चूँकि इसके लिए भारत सरकार की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है, बोर्ड ने मार्च 2007 में प्रधान निदेशक रक्षा संपदा पुणे (पीडीडीई) को वर्ष 2007-08 से वीईटी प्रभारण को निरस्त करके छावनी अधिनियम 2006 की धारा 67(ई) के अधीन एलएफ प्रभारित करने का एक मामला प्रक्रियाधीन करने के लिए भेजा।

इसी मध्य बोर्ड ने, वर्ष 2007-08 के लिए एलएफ और वीईटी दोनों के संग्रहण हेतु निविदाएं आमंत्रित की, एलएफ के लिए ₹4.16 करोड़ और वीईटी के लिए ₹3.03 करोड़ की अधिकतम बोली प्राप्त हुई। चूँकि पीडीडीई से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ, एलएफ के लिए प्राप्त ₹ 4.16 करोड़ की बोली स्वीकृत नहीं की जा सकी इसलिए वीईटी के संग्रहण हेतु अनुबंध सामान्य रूप से संपादित किया गया। बोर्ड ने पुनः फरवरी 2009 और अक्टूबर 2009 में यह मामला पीडीडीई के साथ उठाया। तथापि कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ और बोर्ड ने 2001 में निर्धारित दरों पर ही वीईटी संग्रह करना जारी रखा।

पीडीडीई ने एक लेखापरीक्षा प्रश्न के प्रत्युत्तर में बताया (जून 2011) कि एलएफ प्रभारित करने का मामला इसलिए प्रभावी नहीं किया गया क्योंकि एलएफ का प्रभारण प्रदत्त सेवा के प्रावधान से संबद्ध है और चूँकि बोर्ड छावनी में प्रवेश्य वाहनों को कोई सेवा प्रदान नहीं कर रहा था,

एलएफ प्रभारित नहीं हो सकता था। पीडीडीई का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि छावनी अधिनियम 2006 की धारा 67(ई) वाहनों के प्रवेश पर एलएफ के प्रभारण की अनुमति देती है और किरकी छावनी बोर्ड बसों, ट्रकों और हल्के व्यवसायिक वाहनों पर एलएफ शुल्क प्रभारित करना प्रारम्भ कर चुका था।

इस प्रकार बोर्ड के प्रस्ताव को रोकने के पीडीडीई के निर्णय के परिणामस्वरूप 2007-11 के मध्य बोर्ड को ₹ 4.72 करोड़ के लगभग राजस्व की हानि हुई। उपरोक्त अवधि के दौरान, रक्षा मंत्रालय बोर्ड को ₹ 9.93 करोड़ के सहायतानुदान का भुगतान कर चुका था जिसे, यदि बोर्ड एलएफ संग्रहण के माध्यम से अपने संसाधनों में उत्तरोत्तर वृद्धि करने में सक्षम होता, तो औचित्यपूर्ण रूप से कम किया जा सकता था जैसा कि छावनी अधिनियम 2006 के अधीन प्राधिकृत था।

मामला मंत्रालय को मार्च 2012 में भेजा गया उनका उत्तर जुलाई 2012 तक प्रतीक्षित था।

2.4 विनिमय दर परिवर्तन (ई.आर.वी.) के कारण अतिरिक्त भुगतान

थलसेना के लिए आयात तत्व सम्मिलित एक उपस्कर की खरीद में खरीद प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए विनिमय दर परिवर्तन की गणना के लिए अनुचित आधार दर अपनाने का परिणाम एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को ₹ 1.47 करोड़ के अतिरिक्त भुगतान के रूप में हुआ।

रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2006 (डी.पी.पी.) में प्रावधान है कि विनिमय दर परिवर्तन (ई.आर.वी.) के समायोजन के लिए यदि इसमें आयात तत्व सम्मिलित है, एक खण्ड रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पी.एस.यू.) के साथ की जाने वाली किसी भी क्रय संविदा में सम्मिलित किया जाएगा। ऐसे मामलों में, बेस विनिमय दर भारतीय स्टेट बैंक, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली से जारी प्रत्येक प्रमुख मुद्राओं के लिए वाणिज्यिक निविदा खोले जाने वाली तिथि को लागू आधार विनिमय दर को ही अपनाया जाएगा।

जैसाकि आगे उल्लेख किया गया है हमने पाया कि रक्षा मंत्रालय द्वारा ₹ 48.50 करोड़ की कुल लागत पर (जिसमें यू.एस.डी. 315,490 तथा यूरो 55,55,025 का विदेशी मुद्रा घटक शामिल था) थलसेना हेतु उपस्कर 'एक्स' की खरीद के लिए एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के आपूर्तिकर्ता के साथ जुलाई 2008 में किए गए एक ठेके में उपरोक्त प्रक्रिया न अपनाए जाने का परिणाम आपूर्तिकर्ता को ₹ 1.47 करोड़ के अतिरिक्त भुगतान के रूप में हुआ।

मंत्रालय ने ठेके में सौदा वार्ता के समय (नवम्बर 2007) लागू दरों की बजाय जोकि यू.एस.डी. के लिए ₹ 40.03 और यूरो के लिए ₹ 59.14 थीं, प्रति यू.एस.डी. ₹ 39.86 तथा प्रति यूरो ₹ 56.02 की आधार विनिमय दर जोकि आपूर्तिकर्ता द्वारा सौदा वार्ता के दौरान मांगी गई थीं, अपनाई। हमारे द्वारा उजागर किए जाने पर कि आपूर्तिकर्ता द्वारा थोपी गई आधार दरों को अपनाए जाने के कारण आपूर्तिकर्ता को ₹ 1.47 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ। मंत्रालय ने त्रुटि को स्वीकार किया (अप्रैल 2012) तथा बताया कि अतिरिक्त रकम की वसूली के लिए एक मामला आरम्भ किया जा रहा है।

जहाँ अतिरिक्त भुगतान की वसूली के लिए किए जा रहे प्रयासों का स्वागत है, वहीं हम सुझाव देते हैं कि मंत्रालय सभी सक्षम वित्तीय प्राधिकारियों को रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डी.पी.पी.) जोकि स्वयं मंत्रालय द्वारा गद्दी और अनुबन्धित की गई है, के प्रावधानों को पालन करने की आवश्यकता के प्रति सजग करे।

2.5 स्वदेशी डिजाइन/निर्मित गोलाबारूद की हानि

₹ 408.06 करोड़ मूल्य के (102,014 नग शैल्फ लाइफ निहित) स्वदेशी डिजाइन तथा निर्मित गोलाबारूद आन्तरिक सर्वेक्षण के बिना सेवा के अयोग्य घोषित कर दिए गए। स्वदेशी गोलाबारूद में अनसुलझी समस्याओं के फलस्वरूप सेना की माँगों को पूरा करने के लिए ₹ 278.88 करोड़ मूल्य के गोलाबारूद का आयात हुआ।

भारतीय सेना के विभिन्न प्रकार के गोलाबारूद के आपूर्ति स्रोत, आयात अथवा स्वदेशी उत्पादन सुविधाएँ जैसे आयुध फैक्ट्रियाँ हैं। आयुध फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादित गोलाबारूद की प्रक्रिया के दौरान ही गुणवत्ता परीक्षण, करते हुए अन्तिम उत्पादन का परीक्षण होता है तथा महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन (डीजीक्यूए) रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा मंत्रालय की एक शाखा सेना की ओर से इस प्रकार के उपस्करों को स्वीकृति उपयोग हेतु अथवा निर्धारित जीवनकाल के दौरान भण्डारण हेतु प्रेषित करता है। निर्माता भी खराब जलवायु परिस्थितियों जैसे अत्यधिक तापमान, आर्द्रता आदि के कारण ऐसे गोलाबारूद के सेवा अयोग्य हो जाने की सभी सम्भावनाओं को समाप्त करने हेतु अति महत्वपूर्ण गोलाबारूद के उचित रखरखाव तथा भण्डारण हेतु विभिन्न मानक भी निर्धारित करता है। क्योंकि गोलाबारूद उपयुक्त गुणवत्ता आश्वासन परीक्षण के उपरान्त ही सेना द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, जिसे विफलता रहित होने की उम्मीद की जाती है, गोला दागने के आवधिक परीक्षणों अथवा भण्डारण के दौरान पाया गया कोई दोष पूर्णतया निरीक्षित किया जाता है और उत्तरदायित्व निर्धारण किया जाता है तथा दोषपूर्ण गोलाबारूद की लागत को बट्टे खाते में डालने के लिए हानि विवरण तैयार किया जाता है।

सेना ने 1997 में ए आर डी ई तथा एच ई एम आर एल जोकि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के तहत कार्य करते हैं, के द्वारा विकसित डिजाइन के आधार पर आयुध फैक्ट्री (ओएफबी) द्वारा पहले ही उत्पादित किए जा रहे वर्तमान टैंक-फायरड गोलाबारूद का परिवर्धित रूप स्वीकार किया तभी से तथा 2005 तक ओएफबी द्वारा उत्पादित अनुमानित ₹1400 करोड़ मूल्य के गोलाबारूद के 3.5 लाख गोले डीजीक्यूए द्वारा उपयुक्त गुणवत्ता आश्वासन के उपरान्त सेना द्वारा स्वीकृत किए गए।

हमारी जाँच (अप्रैल 2010) से प्रकट हुआ कि रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय (आई एच क्यू आफ एम ओ डी आर्मी) दक्षिणी कमान द्वारा 2009-10 में डिपुओं के गोलाबारूद भण्डार के निरीक्षण के आधार पर 135608 गोले का गोलाबारूद सेवा अयोग्य घोषित किया गया था जिसकी बड़ी संख्या, (102014 गोले) ₹ 408.06 करोड़ मूल्य के, ने 10 वर्षों का अपना जीवनकाल पूरा नहीं किया था। पाए गए दोष जैसे क्षीण प्रणोदक सामग्री, ज्वलनशील कारतूस में दरारें, पैकिंग कंटेनर में कारतूस का चिपकना इत्यादि, जोकि महत्वपूर्ण माना जाता था, गोलाबारूद गोलाबारी के लिए असुरक्षित समझा गया।

सेना ने दोषों का कारण निर्माण के दौरान अनुपयुक्त गुणवत्ता नियंत्रण बताया, जबकि ओएफबी ने इन्हे डिजाइन में कमी बताया। डीआरडीओ जिसने गोलाबारूद का डिजाइन बनाया था, ने हालाँकि तर्क दिया कि यदि गोलाबारूद डिजाइन दोषों से पीड़ित था तो 1997-2005 के दौरान

निर्मित/ आपूरित सम्पूर्ण गोलाबारूद 2009-10 के दौरान दक्षिणी कमान द्वारा पाए गए उन दोषों के समान प्रमाणित होने चाहिए थे।

ओएफबी, आयुध महानिदेशालय (एमजीओ) डीजीक्यूए तथा डीआरडीओ के प्रतिनिधियों से मिलकर बना एक कार्यदल जो गोलाबारूद के 54,455 गोलों के एक लाट में इंगित किए गए दोषों की जाँच हेतु जनवरी 2010 में पहले ही गठित किया गया था द्वारा उचित सुधारों एवं दोषनिवारण हेतु आयुध फैक्ट्रियों को गोलाबारूद वापिस करने की संभावनाओं को भी खोजा गया। तथापि कार्यदल ने अनुशंसा की कि गोलाबारूद मरम्मत योग्य नहीं था। अनुशंसा इस आकलन पर आधारित थी कि (क) मरम्मत पद्धति खतरनाक एवं असुरक्षित थी (ख) मरम्मत करने की पूरी प्रक्रिया महँगी एवं समय लेने वाली थी तथा (ग) मरम्मत किए गए गोलाबारूद की गुणवत्ता व विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जा सकती थी। एक माह उपरांत (फरवरी 2010) में आई एच क्यू ऑफ एम ओ डी सेना ने उपरोक्त श्रेणी के भण्डार में रखे समस्त गोलाबारूद (135608 गोले, जिसमें 54455 गोले शामिल थे) को सेवा अयोग्य घोषित करने का निर्णय लिया तथा इसके निपटान के आदेश जारी किए।

निर्धारित पद्धति के विपरीत गोलाबारूद में दोषों के कारणों को सुनिश्चित करने के लिए तथा गत दो वर्षों के दौरान ऐसी विफलताओं के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए कोई गंभीर जाँच नहीं की गई। यद्यपि गत वर्षों में इसी प्रकार के गोलाबारूद में इसी प्रकार की कमियों को इंगित करने के परिणामतः ₹607.43 करोड़ के गोलाबारूद (₹ 352 करोड़ मूल्य के गोलाबारूद का एक परिवर्धित रूप सहित) छटाई हुई, दोषों में उपयुक्त जाँच की कमी थी, जैसा कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के तीन विभिन्न प्रतिवेदनों 2003, 2005 और 2010-11⁹ में उल्लेख किया गया था। (प्रसंगवश रक्षा मंत्रालय ने अप्रैल 2011 में लोक लेखा समिति को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2010-11 के सं० 12 के पैरा सं० 2.3 पर अपनी की गई कार्यवाही की टिप्पणी में सूचित किया कि छॉट कर रखे गए सम्पूर्ण गोलाबारूद की मरम्मत की जा चुकी थी।)

निम्न तत्वों को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण गोलाबारूद (1,35,608 गोले) का एक बड़ा भाग (₹408.06 करोड़ मूल्य के 1,02,014 गोले) जोकि अभी भी अपने जीवनकाल में थे की जाँच के संबंध में सेना द्वारा की गई घोषणा की सम्पूर्णता और निष्पक्षता, जिसके कारण गोलाबारूद में दोष उत्पन्न हुए, के स्तर पर शंका उत्पन्न होती है।

(क) सभी निर्धारित गुणवत्ता आश्वासन पद्धतियों को लागू करने की स्वीकृति के उपरांत सेना ने गोलाबारूद बहुत पहले 1997 में स्वीकृत किया था और इसे सेवा अयोग्य घोषित करने की आवश्यकता के बिना नियमित रूप से दागने के परीक्षण उपरांत लगातार 2005 तक भण्डार में रखा।

(ख) एक स्तर पर, इसी प्रकार के गोलाबारूद की एक बड़ी मात्रा को दोषपूर्ण पाया गया और ₹ 607.43 करोड़ मूल्य के गोलाबारूद को जो दीर्घावधि के लिए छँटी हुई स्थिति के तहत पड़े हुए थे, को संबंधित आयुध फैक्ट्री द्वारा सुधार के उपरांत सेना द्वारा अन्ततः स्वीकार किया गया।

⁹ वित्तीय नियमावली भाग-1 के पैराग्राफ 160 के आधीन सक्षम वित्तीय प्राधिकारी की अनुमति से हानियाँ बट्टे खाते में डालनी होती हैं। गोलाबारूद को सेवा अयोग्य घोषित करने (फरवरी 2010) के उपरांत बट्टे खाते डालने का कोई प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के एमजीओ द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था। (मई 2012)

(ग) गोलाबारूद में पाए गए दोषों की प्रकृति और स्रोत के बारे में डीआरडीओ, ओएफबी तथा सेना के मध्य कोई स्पष्ट अनुरूपता नहीं थी।

दोषों की प्रकृति एवं स्रोत जिसमें गोलाबारूद को प्रमाणिक एवं निर्णायक रूप से सेवा के अयोग्य कर दिया, के बारे में विचारधाराओं की विभिन्नता के समाधान में मंत्रालय की विफलता न केवल जिज्ञासा उत्पन्न करती है अपितु उच्च गुणवत्ता के गोलाबारूद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के गंभीर क्षेत्र में रक्षा संस्थापनाओं जैसे सेना, ओएफबी तथा डीआरडीओ के विभिन्न अंगों के मध्य समन्वय की कमी को भी रेखांकित करती है।

इस पर हमारे द्वारा जून 2012 में इंगित किए जाने पर देरी से मंत्रालय ने ओएफबी के अध्यक्ष को मसले की आगे की जाँच करने और उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु ओएफबी, एमजीओ, डीआरडीओ और डी.जी.क्यू.ए. के प्रतिनिधियों से युक्त एक समिति बनाने के निदेश दिए। इस बीच गोलाबारूद की एक बड़ी मात्रा को असेवायोग्य घोषित किए जाने के परिणामस्वरूप मंत्रालय को महानिदेशक यांत्रिक बल के माध्यम से उल्लिखित गोलाबारूद की गम्भीर कमी से उबरने के लिए रूस के मै0 रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ अनुबंधन के अधीन ₹ 278.88 करोड़ (61360,000 यू.एस. डालर) की लागत के गोलाबारूद के 16000 गोले आयात करने पड़े।

यह मामला मंत्रालय में अप्रैल 2012 को भेजा गया, उनका उत्तर जुलाई 2012 तक आपेक्षित था।

2.6 छावनी बोर्ड दानापुर को अधिक अदायगी।

रक्षा लेखा नियंत्रक(सी डी ए) पटना द्वारा संरक्षण सेवाओं पर वास्तविक व्यय विवरणों को माँगने और उसकी सत्यता की जाँच करने में विफलता के परिणामस्वरूप छावनी बोर्ड दानापुर को ₹ 65.79 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

छावनी बोर्ड अम्बाला (छ.ब.) को अधिक भुगतान का एक मामला जोकि प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक (प्र.र.ले.नि.) चण्डीगढ़ द्वारा संरक्षण सेवाओं पर वास्तविक व्यय की सत्यता की जाँच करने में विफलता के कारण भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 2008-09 की संख्या सी.ए. संख्या 17 के पैराग्राफ 2.9 में प्रकाशित हुआ था। इसके एक्शन टेकन नोट में मंत्रालय ने कहा कि सभी प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रकों/रक्षा लेखा नियंत्रकों को सितम्बर 2009 में हिदायतें जारी कर दी गई थी कि चालू वर्ष के प्रथम भुगतान से पहले पिछले वर्ष की बकाया राशि को समायोजित करके छावनी बोर्डों की संरक्षण सेवाओं के भुगतान से पहले वास्तविक खर्च के विवरण के बारे में सलाह ले। तथापि पिछले महीने के वास्तविक खर्च के आधार पर अनुबन्ध पत्र के मासिक समायोजन के समर्थकारी परिशोधित प्रपत्र मंत्रालय (जुलाई 2012) से अनुमोदन हेतु प्रतीक्षित था।

उपर्युक्त हिदायतों का पालन न करने के कारण हमें अवधि 2008-11 में छावनी बोर्ड दानापुर में ₹ 65.79 लाख के अधिक भुगतान का एक मामला मिला। स्टेशन कमांडर दानापुर ने छावनी बोर्ड दानापुर के साथ रक्षा लेखा नियंत्रक पटना की सहमति से वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 क्रमशः ₹ 1.02 करोड़, ₹ 1.29 करोड़ एवं ₹ 1.79 करोड़ के संरक्षण सेवाओं का अनुबंध किया। संरक्षण सेवाओं के अनुबंधों को इस प्रावधान के साथ कि संविदा राशि को बारह बराबर मासिक किस्तों के भुगतान के साथ फरवरी में किए गए दावों को

समायोजित कर जारी रखा गया। छावनी बोर्ड ने अन्तिम दावों को फरवरी माह में वर्ष के दौरान वास्तविक राशि खर्च के दावे को प्रतिबंधित करके ऐसी सेवाओं के लिए प्राप्त राशि में समायोजित किया था।

लेखापरीक्षा जांच में पता लगा कि छावनी बोर्ड का संरक्षण सेवाओं पर किया गया वास्तविक खर्च वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान लेखापरीक्षा विवरणी के अनुसार प्रत्येक वर्ष की भुगतान की राशि से कम था। वास्तविक खर्च के आधार पर संरक्षण सेवाओं के लिए बिल छावनी बोर्ड द्वारा भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किये गये जोकि आवश्यक था।

फरवरी माह के लिए बिलों को न ही छावनी बोर्ड ने भेजा और न ही रक्षा लेखा नियंत्रक ने उनकी माँग की। यहां तक की स्टेशन कमांडर ने नये अनुबंधों को तैयार करते समय पिछले वर्ष वास्तविक खर्च की गई राशि की भी समीक्षा नहीं की थी जो सदा उच्चतर थी। इस प्रकार रक्षा लेखा नियंत्रक प्राधिकारियों के भाग पर संरक्षण सेवाओं की वास्तविक व्यय विवरणों की माँग करने में विफलता के कारण छावनी बोर्ड दानापुर को ₹ 65.79 लाख का अधिक भुगतान किया गया जो सारणी में दर्शाया गया है:-

वर्ष	समझौते के अनुसार राशि (₹ में)	कुल भुगतान किया गया (₹ में)	वास्तविक खर्च (₹ में)	अधिक भुगतान (₹ में)
2008-09	10236105	9321601	8325826	995775
2009-10	12900852	8370927	8128399	242528
2010-11	17898599	16407050	11066250	5340800
			कुल	6579103

नवम्बर 2011 में रक्षा लेखा नियंत्रक पटना ने जवाब दिया कि अधिक भुगतान की राशि के नियमितीकरण के मामले को छावनी बोर्ड दानापुर के साथ लिया गया था।

हम अनुशंसा करते हैं कि रक्षा लेखा नियंत्रक द्वारा आन्तरिक नियंत्रण तन्त्र को सुधारने/मजबूत करने और अधिक भुगतान राशि को भुगतान देय के विरुद्ध समायोजित करने की आवश्यकता है। छावनी बोर्डों के साथ अनुबंधों को पिछले वर्ष के वास्तविक खर्च के आधार पर तैयार करने की आवश्यकता है।

मंत्रालय को मामला फरवरी 2012 में भेजा गया, जुलाई 2012 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

2.7 पुरानी ग्रांट स्थल/ पट्टे पर दी हुई रक्षा भूमि पर अवैध रूप से होटलों का निर्माण

पुरानी ग्रांट स्थल/ पंचमढी में पट्टे पर दी हुई जमीन पर 36 होटलों का अवैध निर्माण तथा उनको चालू करना, रक्षा संपदा/ छावनी बोर्ड अधिकारियों द्वारा रोका नहीं गया यद्यपि इस तरह के संपरिवर्तन/ वाणिज्यिक शोषण 1993-94 की अवधि से चले आ रहे थे। उसी प्रकार, बैरकपुर छावनी में, दो पुराने ग्रांट स्थलों को अवैध रूप से रेस्तरां, दुकानों आदि के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था तथा छावनी बोर्ड/ स्थानीय सैन्य अधिकारियों द्वारा भूमि पुनर्ग्रहण करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी, यद्यपि सैन्य उपयोग के लिए भूमि की कमी थी।

रक्षा मंत्रालय द्वारा 1995 में बनाई गई भूमि नीति के अनुसार, प्रीमियम तथा किराए द्वारा उचित मुनाफा सुनिश्चित करने के लिए, पुरानी ग्रांट स्थलों (ओ.जी.) जो लाइसेंसशुदा प्रकृति के हैं,

सरकारी संस्वीकृति द्वारा पट्टेदार भूमि में परिवर्तित की जा सकती थी, जब तक उनको पुनः ग्रहण करने की इच्छा न हो। किसी भी तरह के क्रिया कलाप जैसे, उद्देश्य में बदलाव, किसी तरह के अनुभाग का निर्माण या अन्यथा, अतिरिक्त मंजिल/मंजिलों का निर्माण, मौजूदा प्लिंथ एरिया या फ्लोर एरिया में वृद्धि, मौजूदा निर्माण का ध्वंस या ओ.जी. के खाली स्थलों में नए निर्माण, तब तक स्वीकृत नहीं किए जा सकते थे जब तक इनका प्रस्ताव सरकार को पेश कर अनुमोदित न किए गए हों।

ओ.जी. स्थलों के प्रबंधन में अनियमितता तथा रक्षा भूमि के पट्टे के निराशाजनक प्रबंधन हालातों की विस्तृत टिप्पणी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रक्षा सम्पदा प्रबंधन के 2010-11 की रिपोर्ट संख्या 35 में की गई थी। हमारी लगातार लेखापरीक्षा में यह प्रदर्शित किया गया था कि पंचमढ़ी में बड़े पैमाने पर ओ.जी./ पट्टेदार भूमि का दुरुपयोग कब्जा अधिकार धारक (एच.ओ.आर.) /पट्टेदार द्वारा 24 ओ.जी स्थलों और 12 पट्टे पर देने वाली भूमि को आवासीय/दुकानदारी से होटलों में परिवर्तित करने के कारण हुई थी। इसके बावजूद कि ये परिवर्तन सरकार की अनिवार्य संस्वीकृति के बिना और 1993-94 की अवधि से चली आ रही थी, रक्षा सम्पदा अधिकारी/ छावनी बोर्ड ने इस अवैध उपयोग को रोकने के लिए कोई भी दृटिगोचर और क्रियाशील कार्यवाही नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, बैरकपुर छावनी में भी हमने समान दुरुपयोग के उदाहरणों को पाया। मामलों का वर्णन निम्नवत् है:

I पंचमढ़ी छावनी

छावनी बोर्ड पंचमढ़ी ने छावनी के सदर बाज़ार में अलग-अलग एच.ओ.आर/ पट्टेदारों को पुरानी ग्रांट/ पट्टे पर आवासीय/ दुकानों के प्रयोजन से भूमि प्रदान की थी। हालांकि, 24 एच.ओ.आर. तथा 12 पट्टेदारों ने पुरानी ग्रांट/ पट्टे वाले स्थलों को 1993-94 से 2008-09 के दौरान, किसी सक्षम अधिकारी जैसे भारत सरकार की संस्वीकृति के बिना होटलों में परिवर्तित कर दिया था। इस अवैध निर्माण के परिणामस्वरूप ₹ 2.30 करोड़ मूल्य वाली रक्षा भूमि के उपयोग में बदलाव आ गया था। जून 2012 में छावनी बोर्ड पंचमढ़ी ने कहा कि नवम्बर 2003 से पहले, 22 एच ओ आर ने प्रयोजन में बदलाव तथा होटलों के पूर्णस्वामित्व वाले परिवर्तन के लिए आवेदन दिया था, किंतु नवम्बर 2003 में सम्मानीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा ऐसे परिवर्तनों पर प्रतिबंध अधिरोपित किए जाने के कारण उनके आवेदनों पर विचार नहीं किया गया।

हमारी लेखापरीक्षा टिप्पणियों के उत्तर में, छावनी बोर्ड ने पहले (नवम्बर 2011) सूचित किया था कि:

- (i) सभी दोषी एच ओ आर/पट्टाधारियों को जब और जैसे अवैध निर्माण हुआ तब सूचना जारी की गई थी,
- (ii) एच ओ आर/पट्टाधारियों की अपीलें मुख्य निदेशक रक्षा सम्पदा/जी.ओ.सी.इन-सी केन्द्रीय कमांड लखनऊ में विचाराधीन थी,
- (iii) संपत्ति-कर, पानी तथा बिजली चार्ज, वाणिज्यिक दरों पर, जबसे स्थलों का होटलों के रूप में प्रयोग किया जा रहा था, प्राप्त किया गया था,
- (iv) आवासीय प्रयोजन से किराया तथा प्रीमियम की प्राप्ति की जा रही थी, और

- (v) होटल-प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भूमि से उच्चतर किराया तथा प्रीमियम तभी प्राप्त किए जा सकते थे जब सक्षम अधिकारी द्वारा प्रयोजन में बदलाव की सम्मति स्वीकृत हो।

छावनी बोर्ड का उत्तर महत्वपूर्ण विषय को सिर्फ स्पर्शज्या करती प्रतीत होती है, इस विषय में कि इतने विशाल निर्माणों को इतनी ज्यादा तादाद में निर्मित करने की अनुमति कैसे दी गई जबकि यह ग्रांट/ पट्टे के सारे नियमों का उल्लंघन कर के की जा रही थी। क्योंकि प्रतिवेदित प्रतिबंध केवल नवम्बर 2003 में लगाया गया था, अतः 1993-94 से उत्पन्न हुए विवादों के हल खोजने में हुई देरी अबोध थी। स्पष्टतः छावनी बोर्ड द्वारा यह दूर दृष्टि में कमी तथा स्थानीय स्तर पर मामलों को अंतिम चरण तक लेकर जाने में निष्क्रियता और इससे संकेतिक रूप से ओजी/ पट्टे पर देने वाले स्थलों का लगातार दुरुपयोग का आदेश दर्शाती है। मार्च 1974 में सरकार के आदेशानुसार, वाणिज्यिक दरों का किराया और प्रीमियम को आवासीय किरायों के 4 और 40 गुना क्रमशः तक लगाया जाना था, जो कि ₹ 22.98 लाख वार्षिक किराया और ₹ 3.93 करोड़ प्रीमियम होता।

छावनी बोर्ड ने आगे कहा कि दोषी परिसरों को बंद करने की शक्ति मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दी गई थी परन्तु इसके लिए भारत सरकार द्वारा कोई नियम निर्धारण नहीं किया गया था।

यह मामला इस बात को प्रकट करता है कि ओजी स्थलों/ पट्टे पर दी हुई जमीनों के एच ओ आर ने अवैध निर्माणों के द्वारा रक्षा भूमि का वाणिज्यिक शोषण करके, जो कि वास्तविकता में आवासीय/ दुकान डालने के प्रयोजन से दी गई थी, लाइसेंस/ पट्टे के समझौते के नियमों और शर्तों की अवज्ञा की थी। छावनी बोर्ड की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप सरकारी नीतियों का इस विषय पर खंडन हुआ जिसकी वजह से न केवल भूमि पुनर्ग्रहण करने वाले लाइसेंस को रद्द करने में असफल रही बल्कि सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिवासी का निष्कासन) अधिनियम 1971 के प्रावधान का आह्वान कर अवैध निर्माणों का रोकथाम भी नहीं कर सकी।

II बैरकपुर छावनी

हमने बैरकपुर छावनी के ओजी स्थलों के दो मामलों के वाणिज्यिक शोषण का अनुवीक्षण किया, जिन्हे रेस्तरां, शादी के हॉल आदि के लिए 1965 के बाद से उपयोग में लाने की अनुमति दी गई थी। रक्षा भूमि/ संपत्ति के वाणिज्यिक शोषण के बावजूद स्थानीय सैन्य अधिकारियों (एल.एम.ए.) ने ये पुरानी ग्रांट संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के सफल कदम नहीं उठाए, जबकि बैरकपुर छावनी के ज़ोनल प्लान के अनुसार बैरकपुर छावनी की भूमि सैन्य उपयोग के लिए 418 एकड़ क्षेत्र कम थी। इसके मामले निम्नवत् है:

(i) बंगला नं 72, सदर बाज़ार रोड़

एक बंगला जिसका पैमाना 1.32 एकड़ भूमि तक फैला हुआ तथा जिसका मूल्य ₹ 3.92 करोड़ था, पुरानी ग्रांट स्थल में था। बंगले का कब्जा धारक अधिकार (एच ओ आर) श्री स्वपन कुमार दास थे। एच ओ आर ने बंगले को वाणिज्यिक परिसर में अलग-अलग सामाजिक/ धार्मिक समारोह विशेषतया शादियों के लिए परिवर्तित किया था। रक्षा संपदा अधिकारी, कोलकाता (डी.ई.ओ.), ने अगस्त 2010, में एल.एम.ए. को बंगला पुनः ग्रहण करने का निवेदन किया। एल एम ए द्वारा की गई कार्यवाही जुलाई 2012 तक प्रतिक्रियित थी।

(ii) बंगला नं 89, जी टी रोड

एक बंगला जिसका घेरा 1.32 एकड़ भूमि और मूल्य ₹ 3.92 करोड़ था बैरकपुर क्लब लिमिटेड (एच ओ आर) के पास थी तथा गोल्फ क्लब के लिए उपयोग की जा रही थी। 1965 में क्लब निष्क्रिय हो गई तथा संपत्ति को अवैध रूप से स्व. श्री शैलेन्द्र नाथ दास को बेच दिया गया था। इसके पश्चात् इस परिसर को श्री पिनाकी रंजन दास द्वारा अधिकृत किया गया जिन्होंने कई दुकानों तथा कमरों का निर्माण किया और अवैध रूप से इस पर होटल/रेस्तरां चलाते रहे। इस अवैध निर्माण के ध्वंस की सूचना पी पी ई अधिनियम, 1971 के अंतर्गत डी.ई.ओ. द्वारा मई 2011 में दी गई। जुलाई 2012 तक उक्त संपत्ति को पुनः ग्रहण करने के लिए किसी भी कार्यवाही का आरम्भ नहीं किया गया।

मामला मंत्रालय को जनवरी 2012/अप्रैल 2012 में संदर्भित किया गया था, उनका उत्तर जुलाई 2012 तक प्रतीक्षित था।